NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE,U.P.

RAJESH GOYAL	ANIL AGARWAL	MANOJ BANSAL	YOGESH JINDAL
PRESIDENT	VICE PRESIDENT	VICE PRESIDENT	TREASURER
9319106205	9319108920	9997905959	9837042001

एनसीआईसी / 01 / 2023–24 / 23 अगस्त, 2023

सेवा में,

आदरणीय प्रो0 एस0 पी0 सिंह बघेल जी,
माननीय केन्द्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री
भारत सरकार,
नई दिल्ली।
कैंप कार्यालय – आगरा।

विषय :– डाक्टर्स द्वारा जेनरिक दवाईयां लिखे जाने एवं सभी जेनरिक दवाईयों के एमआरपी निर्धारण के सम्बन्ध में।

श्रीमान,
सादर अभिनन्दन

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल मेडीकल कमिशन अधिनियम 2019 के अन्तर्गत 2 अगस्त 2023 से डाक्टरों के हेतु रेगूलेशन्स बनाये जाने का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।

जिस प्रकार मेडीकल काउंसिल अधिनियम 1956 के अन्तर्गत बनाये गये रेगूलेशन में यह अनिवार्य था कि डाक्टर्स जेनरिक दवाईयां लिखें इसी प्रकार नये बनाये गये रेगूलेशन में भी जेनरिक दवाईयां लिखना डाक्टरों के लिये अनिवार्य है, जिसका सराहनीय प्रयोजन यही है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी दवाई ले सके और अपना इलाज करवा सके। उक्त महत्वपूर्ण व जनोपयोगी रेगूलेशन्स को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू होना चाहिये जिसका हम सविनय अनुरोध करते हैं।

इसी सन्दर्भ में इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ड्रग प्राइस कण्ट्रोल ऑर्डर 2013 के शेड्यूल में कुल दवाईयों में से केवल 20 प्रतिशत दवाईयों का ही उल्लेख है और उन्हीं के एमआरपी पर नियंत्रण है। शेष 80 प्रतिशत दवाईयों के सम्बन्ध में उक्त ऑर्डर में कोई नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण दवाई बनाने वाली कंपनियां वास्तविक कीमत से 4–5 गुनी कीमत एमआरपी के रूप में दर्शा देती हैं जिससे दवाई विक्रेता ऊँचे दाम पर दवा बेचता है और गरीब मरीजों का शोषण करता है। अतः यह आवश्यक है कि समस्त दवाईयों की एमआरपी के निर्धारण की व्यवस्था हो।

इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका – रिट पिटीशन सिविल सं0 794 वर्ष 2023 भी लम्बित है जिसमें केन्द्र सरकार सहित सभी को नोटिस दिनांक 18.08.2023 को जारी किये जाने के आदेश हो चुके हैं।

हमारा आपसे यह भी अनुरोध है कि उक्त जनहित याचिकका में केन्द्र सरकार गरीब मरीजों का ध्यान रखते हुए अपना सकारात्मक प्रतिउत्तर यथाशीघ्र प्रस्तुत करे ताकि याचिका का निस्तारण शीघ्रता से हो सके और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विद्यमान विसंगतियां दूर हों और गरीब से गरीब व्यक्ति को दवाई उपलब्ध हो सके और हर नागरिक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करे।

उक्त महत्वपूर्ण विषयों पर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हुए इस पत्र की प्राप्ति एवं आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हेतु प्रतिक्षारत हैं।

मंगल कामनाओं सहित

सादर,

भवदीय,

Rajesh Goyal

(राजेश गोयल)
अध्यक्ष

(मनीष अग्रवाल)
पूर्व अध्यक्ष एवं चेयरमैन
जन संपर्क एवं समन्वय प्रकोष्ठ